28/3/26 उपरोक्त केस में तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिशासक उपस्थित नहीं। रेडियो-पेरोल आवेदक तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिशासक को 2-3 बार आवाज लगायी गयी, लेकिन कोई उपस्थित नहीं। यथोचित से न्यायालय समय समाप्ति के पश्चात तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिशासक को आवाज लगायी गयी, लेकिन फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। लिखित आपत्ति तहसील अथवा उपखण्ड डिटेंशन सर्टिफिकेट के खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जारी। अतः न्यायालय का कार्यालय सीलबन्द किया जाए। निर्णय अनुसार बिना प्रमाणित प्रति पालना करावें।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा